



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2015/ज्येष्ठ 18, 1937

No. 376]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2015/JYAISTHA 18, 1937

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2015

सा.का.नि. 467(अ).—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 39 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार एतद्वारा बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक प्रत्येक गर्भवती एवं धात्री माता, तथा 6 माह से 6 साल के आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चे (कुपोषण के शिकार बच्चों सहित) के लिए वर्ष में 300 दिन के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट पात्रताओं को उक्त अधिनियम की उपसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानकों के अनुसार विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

भाग I-सामान्य प्रावधान

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:**—(1) इन नियमों को पूरक पोषण (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- परिभाषाएं:**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - “अधिनियम” का अभिप्राय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) से है ;
 - “बोर्ड” का अभिप्राय खाद्य एवं पोषण बोर्ड से है;
 - “भोजन” का अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 के खंड (9) में परिभाषित भोजन से है;
 - “धारा” का अभिप्राय अधिनियम की धारा से है;

(ड) इसमें प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में उनका अर्थ है।

भाग II-पात्रता एवं पोषण मानक

3. **पात्रता का स्वरूप :—**(1) अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 6 में उल्लिखित पात्रताएं केंद्र सरकार की समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (इसके बाद यहां आईसीडीएस कहा गया है) के पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएंगी।

(2) आईसीडीएस के तहत पूरक पोषण का मुख्य उद्देश्य संस्तुत आहार भत्ता तथा औसत दैनिक ग्रहण के बीच अंतर को पाटना है।

4. **भोजन परोसने का स्थान :—**(1) आईसीडीएस स्वयं चयनित स्कीम है तथा धारा 4 के खंड (क), धारा 5 एवं 6 के उपखंड (1) के खंड (क) में उल्लिखित पात्रताएं उनको उपलब्ध होंगी जो अपना पंजीकरण कराएंगे तथा समय-समय पर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित आंगनवाड़ी केंद्र के कार्य के घंटों के दौरान नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र आएंगे।

(2) भोजन नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान किया जाएगा, जहां लाभार्थी पंजीकृत या नामांकित होगा।

5. **आईसीडीएस के तहत पूरक पोषण:—** विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों के लिए आईसीडीएस के तहत पूरक पोषण निम्नानुसार होगा:

क्र.सं.	श्रेणी	अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानक के रूप में भोजन या खाद्य का प्रकार
1.	बच्चे (6 से 36 माह)	अधिनियम के प्रावधानों के रूप में आईसीडीएस दिशानिर्देश के अनुसार घर ले जाने वाला राशन
2.	कुपोषित बच्चे (6 से 36 माह)	800 कैलोरी खाद्य संपूरक तथा 20-25 ग्राम प्रोटीन के साथ उपर्युक्त के जैसा घर ले जाने वाला राशन
3.	बच्चे (3 से 6 वर्ष)	आईसीडीएस के मानदंडों के अनुसार सवेरे का नाश्ता तथा गरम पका हुआ भोजन
4.	कुपोषित बच्चे (3 से 6 वर्ष)	3 से 6 साल के बच्चे को प्रदत्त भोजन या खाद्य के अलावा अतिरिक्त 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8-10 ग्राम प्रोटीन
5.	गर्भवती महिलाएं तथा धात्री या नर्सिंग माताएं	अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आईसीडीएस दिशानिर्देश के अनुसार घर ले जाने वाला राशन

टिप्पणी: 6 माह की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभ से तथा केवल स्तनपान कराने का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। 6 माह से 12 माह के बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पर्याप्त पूरक आहार (अनाज आधारित) का सुनिश्चय किया जाएगा तथा 12 से 24 माह के बच्चों को एतत् स्तनपान के साथ संतुलित प्रौढ़ खाद्य प्रदान किया जाएगा।

6. **पोषण के मानक –** पोषण के मानक अधिनियम की अनुसूची-II में यथा निर्दिष्ट तथा समय-समय पर केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पोषण तथा आहारिय मानकों के समान होंगे।

भाग III - भोजन के मानक तथा गुणवत्ता का अनुरक्षण, उनके प्रवर्तन और मॉनीटरन

7. **भोजन तैयार करना और इसके मानक तथा गुणवत्ता के अनुरक्षण :—**

(1) भोजन (उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों अथवा दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, अनुदेशों अथवा आदेशों, और अधिनियम की अनुसूची-II के प्रावधानों तथा तत्समय प्रभावी किसी अन्य विधि के अनुसार तैयार किया जाएगा।

(2) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, खाद्य एवं पोषण बोर्ड (जिसे इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) की सहायता से भोजन की सुरक्षा के मानकों के संदर्भ में पूरक पोषण की गुणवत्ता और भोजन के घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

- (3) पूरक पोषण भोजन के परोसने के अंतःक्षेप की सतत गुणवत्ता और पोषक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (वर्ष 2006 का 34) के प्रावधानों के निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होंगे और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भोजन स्वस्थ परिस्थितियों में पर्याप्त सुरक्षा और स्वच्छ पेयजल वाले रसोईघर में तैयार किया जाता है।
- (4) आईसीडीएस के अंतर्गत संबंधित कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह भोजन सुरक्षा तथा भोजन के घटकों के मानकों के संदर्भ में पूरक पोषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
- (5) बोर्ड, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से आवधिक रूप से जांच करेगा और भोजन की जांच करेगा अथवा तत्समय प्रभारी किसी विधि द्वारा अधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त राजकीय खाद्य शोध प्रयोगशाला के माध्यम से इसकी जांच करवाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन अधिनियम की सूची में निर्दिष्ट पोषण और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
- (6) इसी प्रकार, राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा प्रधिकृत अधिकारी औचक निरीक्षण भी करेंगे और नमूने एकत्र करेंगे और भोजन की गुणवत्ता और पोषण मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ऊपर निर्दिष्ट प्रयोगशाला के माध्यम से जांच करवाएंगे।
- (7) भोजन को आंगनवाड़ी केंद्र में लाभार्थियों को परोसने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा सहायिका द्वारा स्वाद लिया जायगा।

8. पूरक पोषण की व्यवस्थाओं के मॉनीटरन और पुनरीक्षा का दायित्व:- संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र तथा केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तर पर मॉनीटरन तथा पुनरीक्षा समितियां पूरक पोषण के प्रबंधक की स्थिति का मॉनीटरन और पुनरीक्षा करने, जल और स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए लाइन विभाग के साथ समभिरूपता, आंगनवाड़ी केंद्रों में नियमित कार्यक्रम सुनिश्चित करने, बिना रूकावट के आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति और आयोडाइज्ड अथवा आयरन फोर्टिफाइड आयोडाइज्ड नमक के उपयोग की आपूर्ति सुनिश्चित करने, मानकों के अनसुर विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने, आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण को बांटने का तरीका, स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी, इनके माध्यम से पूरक पोषण की आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने और केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों में परिभाषित भूमिकाओं के अनुसार उपर्युक्त से संबंधित अन्य सभी मुद्दे :

बशर्ते कि स्वयं सहायता समूहों, पूरक पोषण की आपूर्ति ऐसे अन्य स्रोतों अथवा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार अनुमोदित एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

भाग IV-लागत मानक और लागत भागीदारी

9. **पूरक पोषण मानक :-**पूरक पोषण केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित पोषण और आहारीय मानकों के अनुरूप होगा।
10. **पूरक पोषण के लागत मानक :-**लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पूरक पोषण के लागत मानक निम्नानुसार अथवा केंद्र सरकार द्वारा यथा संशोधित रूप में होंगे:

क्र.सं.	श्रेणियां	वर्तमान दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन)
1	2	3
1	बच्चे (6 से 72 माह के बीच)	6.00 रुपये
2	कुपोषित बच्चे (6 से 72 माह के बीच)	9.00 रुपये
3	गर्भवती महिलाएं और धात्री तथा नर्सिंग	7.00 रुपये

माताएं	
--------	--

- 11. पूरक पोषण की लागत भागीदारी का अनुपात :—**आईसीडीएस के अंतर्गत पूरक पोषण की लागत, इन नियमों के अनुसार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों को छोड़कर जहां केंद्र सरकार लागत का 90 प्रतिशत वहन करेगी और शेष दस प्रतिशत ऐसे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर वहन किया जाएगा, सभी राज्यों के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बराबर अनुपात में वहन किया जाएगा।
- 12. किसी स्कीम का उल्लंघन न करने वाले नियम :—**इन नियमों के प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित विद्यमान किसी स्कीम के अतिरिक्त होंगे और इसका उल्लंघन न करने वाले होंगे।

[सं. 7-5/2012-सीडी-III]

वी. एस. ओबेराय, सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2015

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 39 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government, in consultation with the State Governments, hereby makes the following rules to regulate the entitlements specified under the provisions of the said Act for every pregnant woman and lactating mother till six months after child birth, and every child in the age group of six months to six years (including those suffering from malnutrition) for three hundred days in a year, as per the nutritional standards specified in Schedule II to the said Act, namely:—

PART I – GENERAL PROVISIONS

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Supplementary Nutrition (under the Integrated Child Development Services Scheme) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,-

- “Act” means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);
- “Board” means Food and Nutrition Board;
- “meal” means the meal as defined in clause (9) of section 2 of the Act;
- “section” means section of the Act;
- the words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

PART II- ENTITLEMENT AND NUTRITIONAL STANDARDS

3. Nature of entitlements.—(1) The entitlements referred to in sections 4, 5 and section 6 of the Act shall be provided under the Supplementary Nutrition Programme of Integrated Child Development Services Scheme (hereinafter referred to as ICDS) of the Central Government.

(2) The Supplementary Nutrition under the ICDS is primarily designed to bridge the gap between the Recommended Dietary Allowance and the Average Daily Intake.

4. Place of serving meal.—(1) The ICDS is a self-selecting scheme and the entitlements, as mentioned in clause (a) of section 4, clause (a) of sub-section (1) of section 5 and section 6 shall be available to those who enrol themselves and visit the nearest anganwadi centre during its working hours, as notified by the State Government or the Union Territory Administration from time to time.

(2) The meal shall be served at the nearest Anganwadi Centres where the beneficiary is registered or enrolled.

5. Supplementary Nutrition under ICDS.—The Supplementary Nutrition under the ICDS for different categories of beneficiaries shall be as under:—

Sl. No.	Categories	Type of meal or food as per the nutritional standards specified in Schedule II of the Act
(1)	(2)	(3)
1.	Children (Between 6 to 36 months)	Take home ration as per ICDS guidelines in conformity with the provisions of the Act.
2.	Malnourished children (Between 6 to 36 months)	The same type of take home ration as above with food supplement of 800 calories and 20-25 grams of protein.
3.	Children (Between 3 to 6 years)	Morning snacks and hot cooked meal as per ICDS norms.
4.	Malnourished children (Between 3 to 6 years)	Additional 300 calories of energy and 8-10 grams of protein in addition to the meal or food provided to children between 3 to 6 years.
5.	Pregnant women and lactating or nursing mothers	Take home ration as per ICDS guidelines in conformity with the provisions of the Act.

Note:- Early initiation and exclusive breast feeding shall be promoted for children up to the age of 6 months. Adequate age- appropriate complementary feeding (cereal based) shall be ensured for children from 6 months to 12 months of age and balanced adult food shall be provided from 12 months to 24 months along with continued breast feeding.

6. Nutritional standards.- The nutritional standards shall be the same as provided in Schedule II of the Act and the Nutritional and Feeding norms issued by the Central Government in the Ministry of Women and Child Development from time to time.

PART III –MAINTENANCE OF STANDARD AND QUALITY OF MEAL, THEIR ENFORCEMENT AND MONITORING

7. Preparation of meal and maintenance of its standard and quality.—

- (1) The meal shall be prepared as per the guidelines, instructions or orders issued by the Central Government from time to time (taking into account the orders or guidelines issued by the Supreme Court or High Courts), and the provisions of Schedule II of the Act, and any other law for the time being in force.
- (2) The State Governments and the Union Territory Administrations, with the support of Food and Nutrition Board (hereinafter referred to as the Board) shall ensure the quality of supplementary nutrition with reference to the norms of food safety, as well as food composition.
- (3) The Supplementary Nutrition shall conform to the standards laid down under the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) to ensure consistent quality and nutritive value of the intervention per serving and it shall also be ensured that the meal is prepared in kitchen having adequate sanitation and safe drinking water to maintain hygienic conditions.
- (4) It shall be the responsibility of the concerned Programme Officer and the Child Development Project Officer under the ICDS to ensure the quality of supplementary provision with reference to the norms of food safety as well as food composition.
- (5) The Board, in collaboration with the State Governments and the Union Territory Administrations, shall carry out periodic checks and test the meal or get it tested through the Government Food Research Laboratory accredited or recognised by any law for the time being in force, so as to ensure that the meal meets with the nutritional standards and quality specified in Schedule II of the Act.

- (6) Similarly, the officers, as authorised by the State Governments or the Union Territory Administrations, shall also conduct surprise checks and draw samples and get them tested through the above laboratories to ensure quality and nutrient value of the meal.
- (7) The Food should be tasted by the Anganwadi worker or helper before it is served to the beneficiaries at Anganwadi Centre.

8. Responsibility to monitor and review arrangement for supplementary nutrition.—The respective State Governments and Union territory Administration, and the Monitoring and Review Committees at the National, State, District, Block and Anganwadi levels, constituted by the Central Government in the Ministry of Women and Child Development from time to time, shall be responsible to monitor and review the status of arrangement for Supplementary Nutrition, convergence with the line Departments to ensure water and sanitation facilities, ensure regular functioning of Anganwadi Centres, ensure regular supply of Supplementary Nutrition at Anganwadi Centres without disruptions and use of iodized or iron fortified iodized salts, ensure monitoring and supervision visits by officials at different levels as per norms, method of delivery of supplementary food at Anganwadi Centres, engagement of Self Help Groups, ensure supply and quality of Supplementary Nutrition through them and all other issues relating to the above, as per their roles defined in the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Women and Child Development from time to time:

Provided that till the engagement of Self Help Groups, the supply of Supplementary Nutrition shall be ensured from such other sources or approved agencies in terms of the existing rules and regulations notified by the Central Government and the State Governments.

PART IV – COST NORMS AND COST SHARING

9. Supplementary Nutrition norms.—The Supplementary Nutrition shall be in conformity with the Revised Nutritional and Feeding norms issued by the Central Government in the Ministry of Women and Child Development from time to time.

10. Cost norms for Supplementary Nutrition.—The cost norms for the Supplementary Nutrition for various categories of beneficiaries shall be as under or as may be revised by the Central Government:

S. No.	Categories	Present rates (per beneficiary per day)
(1)	(2)	(3)
1.	Children (Between 6 to 72 months)	Rs. 6.00
2.	Malnourished children (Between 6 to 72 months)	Rs. 9.00
3.	Pregnant women and lactating or nursing mothers	Rs. 7.00

11. Proportion of cost sharing of Supplementary Nutrition.—The cost of Supplementary Nutrition under the ICDS, as per these rules, shall be shared by the Central Government and the State Governments in equal proportion in respect of all the States except the States of Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura and Sikkim, where the Central Government shall bear ninety per cent of the cost and the remaining ten per cent shall be borne by such State Governments or as revised by the Central Government from time to time.

12. Rules not in derogation of any Scheme.—The provisions of these rules shall be in addition to and not in derogation of any existing Scheme implemented by the Central Government.

[No. 7-5/2012-CD-III]

V. S. OBEROI, Secy.